04 25 महोदय दौरे..... .....

अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही

दिनांक 02/12/24 को पेश हो।

8/12/24 पत्रावली पर श्री वकील पद्मकुमार उप० वकील अपनी ने कथन किया कि प्र० प० 09R7 वी 151 पर स्वीकार किये जाने पर उक्त कोई सम्बन्ध आपत्ति नहीं है। अ० प० 09R7 वी 151 पर का स्वीकार किया जाकर अपनी मान्य 11 के विरुद्ध कागज न लाई गई समय दिये कार्यवाही को उपस्थ किया जाता है। वकील उभयपक्षकारान ने सहमती बनाई की छाय का निस्तारण होने तक उभयपक्षों को पाबन्द कर दिया जावे और प० प० आरकाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि छाय का निस्तारण होने तक ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद मौजिल भूमि खसरा नम्बर 253, 245, 248, 254, 249, 250, 251 के मौका एवं राजस्व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फायल शुमार होकर नम्बर से कम दर्ज व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (नीमकाथाना)

दोनों पक्षों को प.वद अपनी सहमति दें